Joint Entrance Examination Council (Polytechnic), Uttar Pradesh

JOINT ENTRANCE EXAMINATION (POLYTECHNIC) UP 2023 ADMIT CARD - 2023

| Application No | 230100367450 |
|------------------------------------|----------------------------|
| Name of the Candidate | Dhiraj Kumar Patel |
| Date of Birth | 15-07-1999 |
| Gender | Male |
| Father's Name | SHIV LAL PATEL |
| Mother's Name | INDRAWATI DEVI |
| Category | Other Backward Class (OBC) |
| Aadhar Card Number [Last 4 Digits] | 4280 |

Photograph


Sub Category List

| Physically Handicapped | No |
|------------------------|----|
| Military Personal | No |
| Freedom Fighter | No |



VILL- SARAI HARINARAYAN, POST - MANDHATA, PRATAPGARH, Mandhata, Mandhata, PRATAPGARH, Uttar Pradesh, India-230402





Candidate Signature



| Apply For | Centre Details | Exam Date & Time |
|-----------|--|---|
| | Examination Center and Address SUCCESS MOUNT 274A/23Q/6A, VINOBA NAGAR, NAINI, PRAYAGRAJ Centre Code: 1306 | Date of Examination 6-Aug-2023 (Sunday) ExamTime 12:00 Noon - 02:30 PM |

निर्देश

- 1. कृपया परीक्षा शुरू होने से 90 मिनट पहले आवंटित केंद्र पर रिपोर्ट करें।
- 2. ऊपर दी गई उम्मीदवार की सभी व्यक्तिगत जानकारी उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार है। अभ्यर्थी की किसी भी गलती के लिए परिषद जिम्मेदार नहीं होगी।
- 3. उम्मीदवार को इस एडिमट कार्ड की एक मुद्रित प्रति परीक्षा केंद्र पर साथ ले जानी होगी। मूल रूप में वैध फोटो पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड के साथ पासपोर्ट/वोटर कार्ड या अंतिम बार स्कूल गए स्कूल का आईडी कार्ड।
- 4. यदि आपका फोटो अस्पष्ट है या एडिमट कार्ड पर मुद्रित नहीं है, तो अपने 02 फोटोग्राफ लाएं जो आपने ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड किए थे।
- 5. निर्धारित समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 6. अभ्यर्थियों को केवल काले/नीले बॉल प्वाइंट पेन का उपयोग करना है। यदि उम्मीदवार अन्यथा करते हुए पाया गया तो उसकी उम्मीदवारी रद्द् कर दी जाएगी।
- 7. कलाई घड़ी, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग परीक्षा हॉल में ऑन या ऑफ मोड में नेटवर्क इंटरफ़ेस की अनुमित नहीं है। उम्मीदवार ऐसी किसी भी वस्तु के साथ पाए जाने पर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- 8. प्रतिरूपण के मामले में, संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी और प्रतिरूपणकर्ता को आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए पुलिस को सौंप दिया जाएगा।
- 9. उम्मीदवार को यह प्रवेश पत्र काउंसलिंग और प्रवेश तक अपने पास रखना होगा।
- 10. अभ्यर्थी का सारा सामान अनिवार्य रूप से परीक्षा हॉल/केंद्र के बाहर छोड़ दिया जायेगा। परीक्षा केन्द्र पर सामान के नुकसान की जिम्मेदारी पूरी तरह से उम्मीदवार की होगी।
- 11. आपको सलाह दी जाती है कि आप एडिमट कार्ड पर छपे विवरण की जांच करें और डेटा में विसंगति के लिए पंजीकरण काउंटर/कमरे पर रिपोर्ट करें।
- 12. वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न में उत्तर के कुल 04 विकल्प होगें और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 04 अंक दिये जायेंगे। गलत उत्तर देने पर कोई नकारात्मक अंक (Negative Marks) देय नहीं होगा।
- 13. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा परिणाम, काउन्सिलिंग एवं अन्य किसी नवीनतम अपडेट के सम्बन्ध में वेबसाइट https://jeecup.admissions.nic.in/ देखें।
- 14. UPJEE(P)-2023 के परीक्षा परिणाम एवं काउन्सिलिंग सम्बन्धी अपडेट के लिए फालो करें JEECUP (Diploma Entrance, Uttar Pradesh) @JEEC-UP
- 15. अभ्यास के लिए कम्प्यूटर आधारित टेस्ट का मॉक टेस्ट लिंक परीक्षा तक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

परीक्षा सम्बन्धी जानकारी हेतु कृपया कॉल या मेल करें:-

दूरभाष संख्या: 080-43436092, 43436030, 43436050 मो0नं0 : +91 8150061588, 7204459208, 9620998488, 9620997488 uttarpradeshjointentranceexami@gmail.com

16. ऑनलाइन काउन्सिलिंग हेतु अर्ह अभ्यर्थी को पोर्टल पर पूर्व में दिये गये विकल्पों को संशोधित करने की सुविधा, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि से काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने की तिथि के 05 दिन पूर्व तक प्रदान की जायेगी।

काउन्सिलिंग की प्रक्रिया एवं संस्था में प्रवेश

- ।. प्रदेश की राजकीय, अनुदानित, पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं के इंजीo/फार्मेसी एवं अन्य पाठयक्रमों में प्रवेश आवंटन केवल ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अथ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के माध्यम से योग्यताक्रम के अनुसार ही सम्भव होगा। प्रवेश का कोई अन्य माध्यम उपलब्ध/मान्य नहीं होगा।
- ॥. काउन्सिलिंग के समस्त चरण ऑनलाइन होंगे। काउन्सिलिंग के समस्त चरणों को प्रक्रिया के आधार पर दो भागों-
 - A. मुख्य काउन्सिलिंग (प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों हेतु)।

- B. विशेष काउन्सिलिंग (प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के साथ-साथ प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अन्य राज्य के अभ्यर्थियों हेतु)। मुख्य काउन्सिलिंग प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण, विशेष काउन्सिलिंग चतुर्थ चरण से अन्तिम चरण तक पूर्ण की जायेगी। प्रत्येक काउंसलिंग प्रक्रिया के अन्तर्गत किये जाने वाले चरणों की संख्या उस सत्र में प्रवेश हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के अनुसार उपलब्ध समय के दृष्टिगत परिषद द्वारा नियमानुसार परिवर्तित की जा सकेगी।
- III. काउन्सिलिंग के प्रत्येक चरण में की जाने वाली प्रक्रियाओं यथा-संस्था एवं पाठ्यक्रम का विकल्प चयन, अभिलेख सत्यापन, शुल्क जमा करना, काउन्सिलिंग चरणों के लिए अध्यर्थन, आवंटित सीट निरस्तीकरण के नियमों, प्रत्येक चरण हेतु अविध, काउन्सिलिंग प्रक्रिया से विद्डाल, संस्था में प्रवेशित छात्र/छात्राओं कीरिपोर्टिंग आदि का निर्धारण संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा किया जायेगा।
- IV. सत्र के लिए ऑनलाइन काउन्सिलिंग एवं प्रवेश हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया/काउन्सिल ऑफ आर्कटिक्चर आदि नियामक संस्था द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के दृष्टिगत ही काउन्सिलिंग के चरणों की संख्या निर्धारित की जायेगी।
- V. राजकीय, अनुदानित तथा पी0पी0पी0 क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं हेतु प्रवेश क्षमता के शासनादेश तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी निर्धारित प्रवेश क्षमता के विवरण सम्बन्धी पत्र के आधार पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा संस्थानवार, पाठ्यक्रमवार एवं वर्गवार सीट मैट्रिक्स तैयार की जायेगी, जिसके सापेक्ष सीट आवंटन किया जायेगा एवं सीट मैट्रिक्स परिषद के पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी। प्रवेश क्षमता में परिवर्तन शासन/नियामक संस्था से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा तथा इस सूचना को प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा जन सामान्य के सूचनार्थ वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- VI. ऑनलाइन काउन्सिलिंग हेतु अर्ह अभ्यर्थी को पोर्टल पर पूर्व में दिये गये विकल्पों को संशोधित करने की सुविधा, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि से काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने की तिथि के 05 दिन पूर्व तक प्रदान की जायेगी। काउन्सिलिंग हेतु विकल्प देते समय अभ्यर्थी अपना वर्ग, उपवर्ग, लिंग (जेण्डर) एवं राज्य सम्बन्धी अर्हता परिवर्तित कर सकेगा। इन श्रेणियों के परिवर्तन उपलब्ध किसी भी वर्ग, उपवर्ग, जेण्डर एवं राज्य में हो सकेंगे।
- VII. काउन्सिलिंग हेतु लॉगिन करते हुए संस्थान एवं पाठ्यक्रम विकल्पों का चयन काउन्सिलिंग पोर्टल https://jeecup.admissions.nic.in/ पर अपने लागिन आई0डी0 के माध्यम से कर सकेगें।
- VIII. काउन्सिलिंग हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त चयनित अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन काउन्सिलिंग में प्रतिभाग किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये संस्थान एवं पाठ्यक्रम के विकल्प को वरीयताक्रम व आरक्षण के अनुरूप आवंटित करते हुए अर्ह अभ्यर्थियों को उनके लॉगिन पर अपबन्धित (Provisonal Allotment Letter) आवंटन-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
- IX. अभ्यर्थियों के पास पोर्टल में दो विकल्प होगें। 1.फ्रीज (Freeze) अथवा 2.फ्लोट (Float)
- X. यदि अभ्यर्थी फ्रीज (Freeze) विकल्प को चुनता है तो उसे सीट एक्सेप्टटेन्स शुल्क (Seat Acceptance Fee) रू० 3250/-(जिसमें से रू० 3000/- को अभ्यर्थी के शिक्षण शुल्क में समायोजित किया जायेगा, जबकि रू० 250/- काउन्सिलिंग शुल्क के रूप में देय होगा) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन जमा करना होगा।

अथवा

- यदि अभ्यर्थी फ्लोट (Float) विकल्प को चुनता है तो उसे सीट एक्सेप्टरेन्स कम सिक्योरिटी शुल्क (Seat Acceptance Cum Security Fee) रू0 3250/- अभ्यर्थियों को ऑनलाइन जमा करना होगा, उक्तानुसार जमा की गयी धनराशि में रू0 250/- काउन्सिलिंग शुल्क के रूप में समाहित होगा।
- XI. इन विकल्पो में से यदि अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प का चयन करता है तो वह अगले चरण की काउन्सिलिंग के लिये पात्र होगा। प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प का चयन करता है तो वह द्वितीय व तृतीय चरण की काउसिलिंग के लिए पात्र होगा। फ्लोट विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थी अगले चरणों की काउन्सिलिंग में अपने विकल्पों का चयन करते हुए प्रतिभाग करसकते हैं। यदि अभ्यर्थी के द्वारा फ्लोट विकल्प का चयन किया गया है एवं सीट एक्सेप्टटेन्स कम सिक्योरिटी शुल्क (Seat Acceptance Cum Security Fee) रू० 3250/- नहीं जमा किया है तो ऐसे अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के इस चरण (Phase) से बाहर हो जायेगें।
- XII. फ्रीज (Freeze) विकल्प का चयन करने की दशा में प्रवेश हेतु निर्धारित सीट एक्सेप्टटेन्स शुक्क (Seat Acceptance Fee) रू० 3250/- अभ्यर्थियों को ऑनलाइन जमा करना होगा जो कि प्रवेशित संस्था को परिषद द्वारा भेज दिया जायेगा। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित राजकीय पालीटेक्निकों को अभिलेखों के सत्यापन (Document Verification) हेतु सहायता केन्द्र (Help Center) निर्धारित किया जायेगा एवं अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन अभ्यर्थियों के आधार कार्ड प्रमाणन (Authentication) के अनुसार निकटम जिले के राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं (सहायता केन्द्र/Help Center) के माध्यम से किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा सहायता केन्द्र पर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के पश्चात सहायता केन्द्र द्वारा वेरीफिकेशन पत्र जारी किया जायेगा। अवशेष प्रवेश शुल्क निर्धारित समयाविध के अन्दर ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान करना होगा। अभ्यर्थी अपनी लॉगिन से प्रवेश शुल्क निर्धारित समयाविध के अन्दर ऑनलाइन के माध्यम से जमा करेंगे। अभ्यर्थियों के लॉगिन/सहायता केन्द्रों द्वारा प्रोविजनल एडिमिशन पत्र जारी किया जायेगा, जिसमें शुल्क का विवरण एवं सत्यापित अभिलेखों (Documents/Certificates) का विवरण अंकित होगा।
- XIII. निर्धारित समयाविध के अन्दर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन एवं प्रवेश शुल्क जमा न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन/प्रवेश उसी चरण (Phase) के अवशेष चक्र (Round) काउन्सिलिंग के लिये पात्र नहीं होगा। अभ्यर्थी की आवंटित सीट स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा उसी रिक्त सीट काउन्सिलिंग में अगले राउन्ड में सीट मैट्रिक्स में जुड़ जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी चतुर्थ चरण/विशेष काउन्सिलिंग में पुनः भाग ले सकते हैं।
- XIV. अभ्यर्थियों द्वारा काउन्सिलिंग प्रक्रिया में जमा शुल्क को विद्डाल करने का विकल्प मुख्य काउन्सिलिंग के अंतिम चरण तक उपलब्ध रहेगी। तदनुसार विकल्प चयन करने की स्थिति में यह धनराशि अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश हेतु जिस बैंक खाते से जमा/भुगतान की गयी है उसी बैंक खाते में अन्तरित/रिफन्ड की जायेगी एवं अन्य किसी भी बैंक खाते के विवरण पर विचार नहीं किया जायेगा, वापसी की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के अगले सभी चरणों के लिए अपात्र माना जायेगा।
- XV. अभ्यर्थी अपने अपर्बोच्धित प्रवेश आवंटन पत्र (Provisonal Admission Letter) एवं समस्त मूल अभिलेख यथा अंकपत्र, जाति, आय, निवास स्वस्थ्य प्रमाण पत्र आदि को साथ लेकर सम्बन्धित संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेगा तथा सम्बन्धित संस्थान को बिना शर्त अभ्यर्थी को प्रवेश देना होगा। यदि अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग के माध्यम से संस्था/पाठ्यक्रम आवंटन के पश्चात् संस्थान में किसी भी प्रकार की परेशानी अथवा प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थित में, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद स्तर पर उसके दावे की जांच कराने के पश्चात् सम्बन्धित संस्था में प्रवेश हेतु कार्यवाही करायी जायेगी। ऐसे सभी मामलों में सम्बन्धित संस्था के विरूद्ध जांच करायी जायेगी। जांच में पुष्टि होने पर संस्था का सम्बद्धन/प्रवेश क्षमता में कटौती की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी को ऑनलाइन पोर्टल पर संस्था लागिन में फोर्स्ट (Forced) अंकन होगा, जिसे संस्था द्वारा किसी चरण में हटाया नहीं जा सकेगा।
- XVI. प्रवेश काउन्सिलिंग से अभ्यर्थियों द्वारा संस्था में प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त संस्था के प्रधानाचार्य/निदेशक के द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची एन0आई0सी0 के पोर्टल पर पी0आई0 (Participating Institute) रिपोर्टिंग, काउन्सिलिंग-कार्यक्रम में निर्धारित तिथि तक करना अनिवार्य होगा, जिससे प्रवेशित अभ्यर्थियों का प्रवेश एन0आई0सी0 के साफ्टवेयर में सुनिश्चित हो सके, जोकि अंतिम प्रवेश के रूप में मान्य होगा।